

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापति करने हेतु 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' शुरू की गई।

प्रमुख बंदि

- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम वभाग के सचवि पी. नरहरांने कलेक्टर-कमशिनर कॉन्फ्रेंस में योजना का प्रसतुतीकरण कयि।
- इस नई योजना में वनिरिमाण इकाई और उद्यम स्थापति करने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए, जबकि सेवा क्षेत्र के लयि 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन दयि जाएगा।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लयि मलिया। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लयि समान रहेंगे। इस योजना में वत्तितीय सहायता के लयि आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहयि।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहयि। पात्रता उन्हीं आवेदकों को होगी, जो स्वयं कसिी बैंक अथवा कसिी वत्तितीय संस्था के डफिल्टर न हों। इसी तरह आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की कसिी अन्य स्व-रोजगार योजना का हतिग्राही न हो।
- इस योजना में वत्तितीय सहायता में ब्याज अनुदान योजनांतर्गत सभी वर्ग के हतिग्राहयिों को बैंक द्वारा वत्तिरति शेष ऋण पर 3 प्रतशित प्रतविर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकितम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहति दयि जाएगा।
- जसि अवधि के दौरान हतिग्राही का ऋण खाता एन.पी.ए. बना रहता है, उस अवधि के लयि कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राश प्रतपूरति वार्षिक आधार पर दी जाएगी।
- योजना में गारंटी फीस प्रचलति दर से अधिकितम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहति दी जाएगी। योजना का क्रयिान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वभाग द्वारा कयि जाएगा। इस योजना का क्रयिान्वयन समेकति पोर्टल के माध्यम से कयि जाएगा।